राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.8(41)नविवि / RHB / 2019 दिनांक : 20 MAR 2020

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2019–20 में घोषणा संख्या 222 में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 01.01.2001 से आवंटित ई.डबल्यू.एस. / एल.आई.जी. आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक एकमुश्त जमा कराने पर इस विभाग के आदेश क्रमांक प.3(1201)नविवि / 3 / 2012पार्ट दिनांक 18.07.2019 द्वारा ब्याज एवं शास्ति में शत–प्रतिशत छूट दिनांक 31.12.2019 तक प्रदान की गई थी।

उक्त क्रम में राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 मे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01.01.2001 से आवंटित ई.डबल्यू.एस. / एल.आई.जी. / एम.आई.जी–ए आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक 30.06.2020 तक एक मुश्त जमा करायी जाने हेतु ब्याज व शास्ति में शत–प्रतिशत छूट एवं एम.आई.जी–बी / एच.आई.जी आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक 30.06.2020 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज एवं शास्ति में 50 प्रतिशत की छूट एतद्द्वारा द्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, वित्त सचिव, (राजस्व) विभाग।
9. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
10. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास।
13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
16. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क, विभाग, राजस्थान, सरकार।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय